न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 998/2024

अनवान : –

1– सुलतान सिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— वादी

बनाम

1– ताराचन्द पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– रामलाल पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3– नन्दराम पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– काशीराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– कृष्णा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– कमला देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

7– रूकमा देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

8– पेमा देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

9– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

10– सन्तलाल पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— तरतीवी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -18/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि मुश्तरका भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 3 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 प्रत्येक का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 11/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई (आबाई) कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 जो कि बादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 8 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583, जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग सम्वत 2029 ता 38 रोही मौजा सोनड़ी बहक जालू दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष [illegible] सुनी [illegible] बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादाला[illegible] वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी [illegible] उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 जो कि बादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 8 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/48 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि मुश्तरका भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 3 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 प्रत्येक का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 11/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 प्रत्येक का 1/48 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा जालुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 998/2024
अनवान : –

1– सुलतान सिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **वादी**

बनाम

1– ताराचन्द पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2– रामलाल पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3– नन्दराम पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4– काशीराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5– कृष्णा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6– कमला देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7– रूकमा देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8– पेमा देवी पुत्री जालुराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

10– सन्तलाल पुत्र जालु जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **तरतीवी प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 998 सन 2024 निर्णय दिनांक – 18/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 614/583 के खसरा नं. 142 की कुल 14.6700 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:44 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर